

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 नवम्बर, 2025

//आदेश॥

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1.	झांसी	स्व0 श्री यतेन्द्र सिंह	सर्वश्री पलक इण्टरप्राइजेज, महोबा	19-01-2025	12-10-2025	श्रीमती राजकुमारी पटेल, पत्नी	10.00 लाख
2.	मुरादाबाद	स्व0 श्री रहीम अहमद	सर्वश्री MSR इंटरनेशनल, मुरादाबाद	27-12-2024	22-09-2025	श्रीमती नाजमीन, पत्नी	10.00 लाख
3.	गोरखपुर	स्व0 श्री रामफल सिंह	सर्वश्री विजय फर्नीचर हाउस, महाराजगंज	24.09.2023	15.08.2025	श्रीमती कुसमावती, पत्नी	10.00 लाख
4.	मेरठ	स्व0 श्री अनिल कुमार	सर्वश्री सुपर फाईन रेमेडीज, मेरठ	17-02-2025	06-09-2025	श्रीमती कविता, पत्नी	10.00 लाख
5.	मेरठ	स्व0 श्री जगमोहन	सर्वश्री अरिहन्त ज्वैलर्स, मेरठ	10-02-2025	22-09-2025	श्रीमती शालू जैन, पत्नी	10.00 लाख
6.	अलीगढ़	स्व0 श्री दिनेश सिंह	सर्वश्री खूशबू बॉस बल्ली एण्ड फर्नीचर हाउस, अलीगढ़	20.06.2024	19.09.2025	श्रीमती कृष्णा देवी, पत्नी	10.00 लाख
7.	गोरखपुर	स्व0 श्री आत्मा गुप्ता	सर्वश्री कसौंधन ट्रेडर्स, गोरखपुर	20.06.2024	25.09.2025	श्रीमती सोनी, पत्नी	10.00 लाख
8.	झांसी	स्व0 श्री अनिल कुमार साहू	सर्वश्री काशी प्रसाद एण्ड सन्स गल्ला व्यापारी, महोबा	04-04-2024	12-10-2025	श्रीमती अंजुली साहू, पत्नी	10.00 लाख
9.	मुरादाबाद	स्व0 श्री मो० आसिम	सर्वश्री हबीब ट्रेडर्स, मुरादाबाद	09-05-2025	17-11-2025	श्री मो० इरुलाम, पिता	10.00 लाख
10.	कानपुर	स्व0 श्री पंकज शुक्ला	सर्वश्री हरि गारमेन्ट्स, कानपुर	05-10-2024	23-09-2025	श्री शाश्वत कौशल, पुत्र	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर एवं अलीगढ़ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, बौदा, मुरादाबाद-ए/बी, गोरखपुर-ए/बी, मेरठ-बी, कानपुर-बी एवं मथुरा को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रतिके साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।